रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ

OA(IIu)/PNBE/74/2021

सोमरी देवी (APPLICANT/S)

बनाम (VERSUS)

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (RESPONDENT/S)

दिनांक / Date	आदेश / Order	अभियुक्ति / Remarks
28.10.24	याची की ओर से : श्री धनंजय चौहान उपस्थित । प्रतिवादी के अधिवक्ता : श्री आर के सिन्हा उपस्थित।	

प्रस्तुत प्रकरण में याचिनी को माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के दिनांक 06.05.2024 के अनुक्रम में आज याचिनी के पुत्र धनंजय चौहान उपस्थित हुए हैं, उसके द्वारा बताया गया कि उसकी मां सोमरी देवी को 3–4 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है उसने यह भी स्वीकार किया कि पिछली तिथि 24. 06.2026 को उसका छोटा भाई दुलारचंद चौहान न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ था, परन्तु उनको काम से बाहर जाने के कारण आज वह उपस्थित हुआ है।

प्रस्तुत मामले में विगत तिथि पर याचिनी के पुत्र दुलारचंद चौहान ने किसी नये अधिवक्ता को प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया था, परन्तु कोई अधिवक्ता याचिनी की ओर से न तो उपस्थित हुआ और न ही कोई प्रार्थना–पत्र विधिक वारसान प्रतिस्थापन के संबंध में अभीत तक प्राप्त हुआ, जबकि याचिनी सोमरी देवी को 3–4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाना उसके पुत्रों द्वारा बताया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिनी के दोनों पुत्रो ने यह स्वीकार किया है कि उसकी माता सोमरी देवी का 3–4 पूर्व निधन हो चुका है ऐसी दशा में मामला उपसमित हो चुका है। अतः वाद खारिज करते हुए दाखिल दफ्तर किया जाये।

चूंकि याचिनी का पुत्र धनंजय चौहान आज न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हैं और उसने कोई प्रतिस्थापना का प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया है तथा अपनी मां का 3–4 वर्ष पूर्व मृत्यु होना स्वीकार किया है । ऐसी दशा में याचिनी की मृत्यु 3–4 वर्ष पूर्व हो जाने के आधार पर वाद उपसमित (Abate) हो गया है अतः खारिज किया जाता है, तदनुसार उपसमित (Abate) होने के आधार पर पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाये।

दायां हाथ के अंगूठा का निशान धनंजय चौहान का।

हस्ताक्षर

सदस्य (न्यायिक)

रेल दावा अधिकरण, पटना